चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य द्वारा गैंग लीडर इब्राहिम पुत्र हारून निवासी

हटवा ऊपरहार असरौली थाना पुरामुक्ति जनपद प्रयागराज 2. मोहम्मद फैजान पुत्र अब्दुल कयूम निवासी अहमदपुर थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज 3.मोहम्मद नैश पुत्र मोहम्मद इरफान निवासी खेड़ुवा थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज 4.सद्दाम पुत्र शकील निवासी मारियाडीह थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज 5.जुनैद अहमद पुत्र मोहम्मद जुबेर निवासी लखनपुर थाना धूमनगंज प्रयागराज 6.अवधेश पासी पुत्र सजीवन पासी निवासी पुराखास थाना सरायं अकिल जनपद कौशांबी के विरुद्ध धारा 2/3 एक्ट गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। इन अभियुक्तों द्वारा एक संगठित गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप एवं गौ-तस्करी/गौवध जैसे संगीन अपराध कारित करके आर्थिक व बुनियादी लाभ प्राप्त किए जाते थे।

(4). आज दिनाँक 02.092024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में निरिक्षक एलआईयू श्री सूर्यकांत अरुण राय के नेतृत्व में उप-निरिक्षक एलआईयू श्री शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में एस चेक टीम बांदा, बीडीएडएस टीम जीआरपी प्रयागराज, डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत बस स्टैंड,रामघाट ,परिक्रमा मार्ग आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।

(5). जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा भाद्रमास की सोमवती अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि जो श्रद्धालु रोड के किनारे सो रहे हैं। उनको सकुशल रैन बसेरा पहुंचाया जाए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया एवं निर्देशित किया कि सीसीटीवी कैमरा संचालित रहनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी करें तथा श्रद्धालुओं के साथ विन्रम व्यवहार करे साथ ही साथ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम,अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव ,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पीओरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहें।

(6). आज दिनाँक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं चौकी प्रभारी सरैंया श्री श्यामदेव सिंह द्वारा भाद्रपद मास की अमावस्या मेले में आये हुये श्रद्धालुओं का फल वितरित किये गये।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती नेहा उर्फ कुसुमा पुत्री कामता प्रसाद निवासी बड़ी कोलान बारहमाफी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री संजय पुत्र देवनाथ निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट एवं ससुराल पक्ष द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित

परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदाओं/बिछड़ों को उनके परिवारों से मिलाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अमावस्या मेला डियूटी में लगी पुलिस टीम ने परिक्रमा के दौरान अपने साथियों से बिछड़ी महिला को उनके साथियों से मिलाया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 02.09.2024 को श्रीमती माया देवी पत्नी श्री मनोज त्रिपाठी निवासी रामपुर मजलाल जिला रीवा म0प्र0 अपने ही गांव को साथियों के साथ सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन हेतु चित्रकूट आयीं थी कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान अपने साथियों से बिछड़ गयीं। शनि शिला के परिक्रमा मार्ग में डियूटी पर तैनात महिला आरक्षी कीर्ती पाण्डेय, महिला आरक्षी पारुल श्रीवास्तव एवं आरक्षी अभिषेक यादव द्वारा महिला को परेशान देख उनके वार्ता कर उनकी परेशानी पूंछी तो महिला ने बताया कि मैं अपने साथियों से बिछड़ गयी हूं तथा मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। महिला की बात सुन पुलिस टीम द्वारा अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुये महिला से उनके पति का नम्बर पूंछा एवं पति से वार्ता कर महिला के बिछड़ने की बात बताते हुये उसके साथ आये व्यक्तियों का नम्बर पूंछा गया। इस पर महिला के पति द्वारा महिला के साथ आये एक व्यक्ति मोहन पुत्र कालू रामदीन निवासी उपरोक्त का नम्बर दिया गया । पुलिस टीम द्वारा मोहन उपरोक्त से सम्पर्क कर उन्हें खोही परिक्रमा मार्ग चौकी पर बुलाया गया एवं श्रीमती माया देवी को उनके साथियों से मिलाया गया। अपने साथियों से मिलकर श्रीमती माया देवी के चेहरे की मुस्कान वापस आयी तथा उन्होंने पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद दिया।

साथियों से मिलाने वाली टीमः-

1.महिला आरक्षी कीर्ती पाण्डेय अभियोजन कार्यालय

2.महिला आरक्षी पारुल श्रीवास्तव थाना बरगढ़

3.आरक्षी अभिषेक यादव चौकी परिक्रमा मार्ग

(9). पुलिस अधीबक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बबलू सोनकर पुत्र हरीशचन्द्र सोनकर निवासी राघवपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

15 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता

2.उ0नि0 श्री मेवालाल मार्य

3.आरक्षी रविन्द्र कुमार
4.महिला आरक्षी काजल

(10). आज दिनाँक 02.09.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सोमवती/भाद्रपद अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया साथ ही ड्यूटी में लगे पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ विन्रम व्यवहार करने व सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया।
भ्रमण के दौरान पीआरओ डीआईजी महोदय श्री मिथलेश कुमार सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहे।
(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी ब्रज बिहारी मॉनिटरिंग सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 195/2018 धारा 328,379,420,467,468,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त गोरेलाल नाई पुत्र हरीलाल निवासी गिरसी थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर को 05 वर्ष 08 माह का कारावास व 8000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 22.10.2018 को वादी श्री नंदकिशोर त्रिपाठी पुत्र बद्री निवासी पूरा लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा धोखा देकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देना जिससे प्रार्थी बेहोश हो गया प्रार्थी का अभियुक्तगण द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली,मोबाइल व 40 हजार रुपए लूटकर ले जाना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 195/2018 धारा 328,379,420,467,468,411 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी थी, विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनाँक 21.06.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
(12). आज दिनाँक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा सोमवती/भाद्रपद अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया साथ ही ड्यूटी में लगे पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ विन्रम व्यवहार करने व सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा परिक्रमा मार्ग खोही में स्थापित खोया पाया केंद्र एवं उसमे बने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे है जानकारी ली गई।
(13). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में सोमवती/भाद्रपद अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा मंदाकिनी नदी में 03 श्रद्धालुओं जो स्नान कर रहे थे गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे थे।ड्यूटी में तैनात उ0नि0 श्री रामवीर सिंह एवं आरक्षी अशोक पाल थाना रैपुरा,आरक्षी पुनीत त्रिपाठी थाना पैलानी जनपद बांदा द्वारा नाविको की मदद से तीनों श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया।
उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 02.09.2024 को समय करीब 17.40 बजे पर होटल इन के सामने मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय श्रद्धालु 1.विजय त्रिपाठी पुत्र राजेश त्रिपाठी उम्र 26 वर्ष 2. रघुवंश त्रिपाठी पुत्र संदीप त्रिपाठी उम्र 19 वर्ष 3. सत्यम शुक्ला पुत्र महेश शुक्ला उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम थानुआपुर थाना बड़ौद अकबरपुर कानपुर देहात के

अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस सेक्टर प्रभारी उ0नि0 श्री रामवीर सिंह पुलिस लाइन चित्रकूट
व आरक्षी अशोक कुमार पाल थाना रैपुरा एवं आरक्षी पुनीत त्रिपाठी थाना पैलानी जनपद बांदा द्वारा तीनों डूबे व्यक्तियों को तत्परता दिखाते हुए नाविकों की मदद से नदी से सुरक्षित निकालकर है उनके गंतव्य स्थान को भेजा गया। श्रद्धालुओं ने चित्रकूट पुलिस की तत्परता के लिए धन्यवाद कहा।